HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB AMBALA **Year (वर्ष):** 2018

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0007 **Date (दिनांक):** 01/08/2018 20:19

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** Date (दिनांक): 01/08/2018 Time (समय): 19:55 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** Entry No. (प्रविष्टि सं.): 006 Time (समय): 01/08/2018 20:00 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला रेन्ज, अम्बाला

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

5. Place of Occurrence
(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complaint / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Insp Raj pal

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1963

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Incharge SVB Sub Unit KKR, Kurukshetra, THANESAR CITY, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Incharge SVB Sub Unit KKR, Kurukshetra, THANESAR CITY, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

थाना राज्य चौकसी ब्यूरो
अम्बाला मण्डल, अम्बाला

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	श्री रामकिशोर		
2	अतुल गोयल		
3	श्री एस.के. विशिष्ट		
4	बी.एस. दहिया		
5	इन्द्रजीत सिंह नागपाल		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख इस प्रकार से है कि सेवा मे, थाना प्रबन्धक राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला । श्री मान जी, निवेदन है कि, जांच क्रमांक 11 दिनांक 26.11.15 अम्बाला मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, चण्डीगढ के पत्र क्रमांक 26/84/15-2VI दिनांक 18.11.2015 की अनुपालना मे महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 18210/आई-3/रा.चौ.ब्यू. (हरियाणा) दिनांक 22.12.2015 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर पडताल हेतू प्राप्त हूई थी जिसमे श्री राजेन्द्र सिंह चौहान ए.एस.डी.ई. दवारा माननीय उच्चन्यायालय पंजाब एंव हरियाणा, चण्डीगढ मे जनहित/सिविल याचिका न.19218 वर्ष 2011 अनुसार एंव माननीय उच्चन्यालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2012 अनुसार गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 6 आरोपों की पडताल की गई थी । अन्य आरोपो के अतिरिक्त आरोप न. 2 मे पाया गया कि कार्यकारी अभियंन्ता जगाधरी प्रोविशियल मण्डल, लोक निर्माण विभाग यमुनानगर द्वारा राज्य मार्ग न. 1 जगाधरी-बिलासपुर-सढौरा सडक लम्बाई 26.20 किलो मीटर के रख रखाव/निर्माण कार्य का टेन्डर मु. 512.68 लाख रुपये मे पत्र क्रमांक 726 दिनांक 20.08.2002 अनुसार मैसर्ज कमल बिल्डर्स सी-84, ग्रेटर क्लास-1, नई दिल्ली को स्वीकृत करना पाया गया है । यह कार्य फर्म द्वारा दिनांक 15.09.2003 तक पूर्ण किया जाना था, जिसकी मैन्टीनैन्स डिफैक्ट लाईबिलटी अवधि दिनांक 01.12.2005 तक बढाई गई थी यह कार्य श्री आई.एस.गोयल, श्री एस.के विशिष्ट, श्री बी.एस. दहिया तत्कालिन कार्यकारी अभियंता, श्री चिरंजी लाल गुप्ता, श्री आर.सी. कश्यप उप.मण्ड़ल अभियंता, श्री राजेन्द्र सिंह चौहान(शिकायतकर्ता), श्री एस.के. चावला, श्री राम प्रकाश व श्री आर.पी. शर्मा कनिष्ट अभियंताओं की देखरेख मे किया गया था । फर्म द्वारा उपरोक्त सडक निर्माण कार्य हेतू मिक्सींग प्लांट मे बिचुमिन/तारकोल सप्लाई करने पर मिक्सींग प्लांट पर श्री आई.एस. नागपाल तत्कालीन कनिष्ट अभियंता(सेवा निवृत) द्वारा प्राप्त करने तथा रिकार्ड बिचुमिन रजिस्टर तैयार करने की ड्युटी रही है लेकिन मिक्सींग प्लाटं पर रखे बिचुमिन रजिस्टर अब रिकार्ड मे उपलब्ध नही है । इस कार्य की अदायगी 1 से 15 रनिंग बिलों तक फर्म को की गई है । फर्म द्वारा उपरोक्त सडक के निर्माण/मैन्टीनैंस कार्य हेतू 141 बिचुमिन/तारकोल के इनवाईस बिलों की छाया प्रतियों के माध्यम से

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

बिचुमिन/तारकोल मिक्सिंग प्लांट मे स्पलाई करना दिखाया हुआ है । कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुनानगर के पत्र क्रमांक 1582 दिनांक 14.06.17 अनुसार मैसर्ज कमल बिल्डर्स, नई दिल्ली द्वारा बिचुमिन के टैंकरो के बिलों की केवल छाया प्रतियां ही देनी पाई गई है। इसी प्रकार उपरोक्त याचिका के सन्दर्भ मे गठित कमेटी द्वारा बिचुमिन/तारकोल के असल बिलों बारे सर्व प्रथम कार्यकारी अभियंता यमुनानगर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार केवल छाया प्रतियां उपलब्ध होने उपरांत विभाग द्वारा कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, बरेली(उत्तर प्रदेश) डिविजन से पत्र क्रमांक 483 दिनांक 02.02.2012 अनुसार बिचुमिन के 6 बिलों ईनवाईस बिल न. 6969757 दिनांक 10.10.2003, 6954207 दिनांक 05.10.2003, 6964993 दिनांक 17.10.2003 व 6987477 दिनांक 22.10.2003, 6990532 दिनांक 11.11.2003 व 6915152 दिनांक 22.11.2003 बारे रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया था । कार्यकारी अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, भवन एंवम मार्ग शाखा, बरेली के पत्र क्रमांक 241/बी.एफ. दिनांक 08.02.2012 अनुसार सुचित किया कि ईन्वाईस बिल न. 6969757 दिनांक 10.10.2003, 6954207 दिनांक 05.10.2003, 6964993 दिनांक 17.10.2003 व 6987477 दिनांक 22.10.2003 की छायाप्रतियां उनके रिकार्ड मे उपलब्ध हैं । ये इन्वाईस बिल मैसर्ज कमल बिल्डर्स, सी-84 ग्रैटर कैलाश-1, नई दिल्ली के एग्रीमैन्ट न. 15/एस.ई./28/2002-03 दिनांक 14.02.2003 के नाम पर दर्ज है ओर इस एग्रीमेन्ट के अनुसार उपरोक्त ईन्वाईस/बिलों के तहत प्राप्त बिचुमिन बरेली के सडक निर्माण कार्य मे प्रयोग हुआ है । कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण निर्माण विभाग बरेली द्वारा पत्र क्रमांक 506 दिनांक 07.04.2017 अनुसार उपरोक्त चारों बिचुमिन/तारकोल के इन्वाईस बिलों को बरेली कार्य से उपरोक्त फर्म द्वारा प्रयोग करने बारे सूचित किया है । कम्पनी के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अतुल गोयल व फर्म के मालिक श्री रामकिशोर के पत्र क्रमांक दिनांक 14.11.2013 व पत्र दिनांक 12.12.2003 अनुसार जगाधरी-बिलासपुर-सढौरा सडक के निर्माण कार्य के दौरान कपालमौचन मेले की अनिवार्यता को देखते हुये बिचुमिन के 6 अदद टैंकरों को मथुरा रिफाईनरी से बरेली कार्य पर भेजने की बजाये उपरोक्त कार्य पर प्रयोग करने दिखाये है । जिनकी सूचना कार्यकारी अभियंता को पत्रो के माध्यम से दी गई । प्रतिवादीयों द्वारा चार अदद बिचुमिन/तारकोल के टैंकरों का वजन मुल्तानी धर्मकांटा, अम्बाला रोड नारायणगढ पर करना दिखाया हुआ है । मैसर्ज कमल बिल्ड्रर्ज सी-84, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त चारों इन्वाईस/बिल अनुसार बिचुमिन/तारकोल की मात्रा को कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, बरेली मे चल रहे उपरोक्त कार्य मे प्रयोग करके तारकोल की राशि पहले ही प्राप्त की जा चुकी है और फर्म द्वारा उपरोत्त चारों बिचुमिन के

राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला

बिचुमिन/तारकोल मिक्सिंग प्लांट मे स्पलाई करना दिखाया हुआ है । कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुनानगर के पत्र क्रमांक 1582 दिनांक 14.06.17 अनुसार मैसर्ज कमल बिल्डर्स, नई दिल्ली द्वारा बिचुमिन के टैंकरो के बिलों की केवल छाया प्रतियां ही देनी पाई गई है। इसी प्रकार उपरोक्त याचिका के सन्दर्भ मे गठित कमेटी द्वारा बिचुमिन/तारकोल के असल बिलों बारे सर्व प्रथम कार्यकारी अभियंता यमुनानगर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार केवल छाया प्रतियां उपलब्ध होने उपरांत विभाग द्वारा कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, बरेली(उत्तर प्रदेश) डिविजन से पत्र क्रमांक 483 दिनांक 02.02.2012 अनुसार बिचुमिन के 6 बिलों ईनवाईस बिल न. 6969757 दिनांक 10.10.2003, 6954207 दिनांक 05.10.2003, 6964993 दिनांक 17.10.2003 व 6987477 दिनांक 22.10.2003, 6990532 दिनांक 11.11.2003 व 6915152 दिनांक 22.11.2003 बारे रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया था । कार्यकारी अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, भवन एंवम मार्ग शाखा, बरेली के पत्र क्रमांक 241/बी.एफ. दिनांक 08.02.2012 अनुसार सुचित किया कि ईन्वाईस बिल न. 6969757 दिनांक 10.10.2003, 6954207 दिनांक 05.10.2003, 6964993 दिनांक 17.10.2003 व 6987477 दिनांक 22.10.2003 की छायाप्रतियां उनके रिकार्ड मे उपलब्ध हैं । ये इन्वाईस बिल मैसर्ज कमल बिल्डर्स, सी-84 ग्रैटर कैलाश-1, नई दिल्ली के एग्रीमैन्ट न. 15/एस.ई./28/2002-03 दिनांक 14.02.2003 के नाम पर दर्ज है ओर इस एग्रीमेन्ट के अनुसार उपरोक्त ईन्वाईस/बिलों के तहत प्राप्त बिचुमिन बरेली के सडक निर्माण कार्य मे प्रयोग हुआ है । कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण निर्माण विभाग बरेली द्वारा पत्र क्रमांक 506 दिनांक 07.04.2017 अनुसार उपरोक्त चारों बिचुमिन/तारकोल के इन्वाईस बिलों को बरेली कार्य से उपरोक्त फर्म द्वारा प्रयोग करने बारे सूचित किया है । कम्पनी के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अतुल गोयल व फर्म के मालिक श्री रामकिशोर के पत्र क्रमांक दिनांक 14.11.2013 व पत्र दिनांक 12.12.2003 अनुसार जगाधरी-बिलासपुर-सढौरा सडक के निर्माण कार्य के दौरान कपालमौचन मेले की अनिवार्यता को देखते हुये बिचुमिन के 6 अदद टैंकरों को मथुरा रिफाईनरी से बरेली कार्य पर भेजने की बजाये उपरोक्त कार्य पर प्रयोग करने दिखाये है । जिनकी सूचना कार्यकारी अभियंता को पत्रो के माध्यम से दी गई । प्रतिवादीयों द्वारा चार अदद बिचुमिन/तारकोल के टैंकरों का वजन मुल्तानी धर्मकांटा, अम्बाला रोड नारायणगढ पर करना दिखाया हुआ है । मैसर्ज कमल बिल्ड्रर्ज सी-84, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त चारों इन्वाईस/बिल अनुसार बिचुमिन/तारकोल की मात्रा को कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, बरेली मे चल रहे उपरोक्त कार्य मे प्रयोग करके तारकोल की राशि पहले ही प्राप्त की जा चुकी है और फर्म द्वारा उपरोत्त चारों बिचुमिन के

राज्य चौकसी ब्यूरो
अम्बाला

इन्वाईस/बिलों की छायाप्रतियां कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, यमुनानगर कार्यालय मे भी देकर 89.87 मीट्रिक टन तारकोल की दोहरी अदायगी राशि मुबलिग 12,48,595 रु. प्राप्त करके सरकार को आर्थिक हानि पंहुचाई गई है । फर्म द्वारा बिचुमिन/तारकोल के असल इन्वाईस बिल पेश नही किये गये । उपरोक्त कार्य का कम्पलीशन प्रमाण पत्र अधीक्षक अभियंता चण्डीगढ सर्कल, लोक निर्माण विभाग चण्डीगढ द्वारा पत्र क्रमांक 3915 दिनांक 24.03.2006 अनुसार जारी करना पाया गया है । उपरोक्त याचिका की पालना मे गठित विभागीय कमेटी द्वारा टिप्पणी दी है कि फर्म द्वारा 6 टैंकर बिचुमिन/तारकोल मथुरा रिफाईनरी से बरेली कार्य के लिये प्रयोग करने की बजाये जगाधरी-बिलासपुर-सढौरा सडक प्रौजेक्ट मे प्रयोग करने स्वीकार किये हैं । बिचुमिन/तारकोल टैंकर की वजन पर्ची प्राप्त की गई है । उपरोक्त सडक पर दोबारा वर्ष 2010-11 के दौरान सी.आर.एफ. योजना के तहत सडक का निर्माण हो चुका है जिस कारण सडक के निर्माण कार्य का मुल्यांकन सम्भव नही है । फिर भी बिचुमिन/तारकोल इन्वाईस/बिलों की छायाप्रतियां के आधार पर राशि का भुगतान नही किया जाना चाहिये था । असल बिचुमिन/तारकोल इन्वाईस /बिलों की प्रतियों के अभाव मे उपरोक्त कार्य का अन्तिम बिल नही बनाया जा सका । 15वें रनिंग बिल अनुसार फर्म का लगभग 1,98,878 रु. की राशि बकाया है । जबकि उपरोक्त 4 बिचुमिन/तारकोल के बिलों की राशि 12,48,595 रु. की अदायगी पहले ही की जा चुकी है इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा फर्म की सभी बैंक गारन्टी राशि सिक्युरिटी राशि एंवम अरनैस्ट राशि फर्म को लौटाई जा चुकी है । फर्म द्वारा बिचुमिन/तारकोल का एक भी इन्वाईस /बिल असल कार्यालय मे पेश नही किया गया । टैन्डर की शर्तों/सैक्शन-4, कन्डीशन आफ कान्ट्रेक्ट पार्ट-2 स्पैशल कन्डीशन आफ कान्ट्रेक्ट के अनुसार किसी भी बिल की जो राशि जारी की जाती है वह असल बिल के उपर ही जारी की जा सकती है । फर्म द्वारा उपरोक्त चारों बिचुमिन/तारकोल के इन्वाईस बिलों के माध्यम से प्राप्त 89.87 मीट्रिक टन तारकोल के इन्वाईस बिलों का मिक्सींग प्लांट पर रखे जिस बिचुमिन रजिस्टर मे ईन्द्राज प्राप्ति हुआ, वह रजिस्टर इस समय कार्यालय मे उपलब्ध नही है । इस बिचुमिन/तारकोल का ईन्द्राज 5वें रनिंग बिल मे शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र सिंह चौहान व श्री ईन्द्रजीत सिंह नागपाल तत्कालिन कनिष्ट अभियंताओं द्वारा किया हुआ है । जिसको श्री बी.एस. दहिया, तत्कालिन उपमण्डल अभियंता द्वारा सी.एण्ड.बी करने के उपरांत श्री एस.के. विशिष्ट, तत्कालिन कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, यमुनानगर द्वारा फर्म को दिनांक 27.11.2003 को भुगतान करना पाया गया है । इस प्रकार राज्य मार्ग न. 1 जगाधरी-बिलासपुर-सढौरा सडक निर्माण के कार्य मे उपरोक्त 4 अदद बिचुमिन/तारकोल इन्वाईस मात्रा

थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

89.87 मीट्रिक टन फर्जी बिलों के आधार पर मैसर्ज कमल बिल्डर्स, सी-84, ग्रैटर कैलाश न.01,नई दिल्ली के मालिक श्री रामकिशोर पुत्र श्री श्याम सुन्दर तथा श्री अतुल गोयल पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार वासी यमुनानगर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा श्री एस.के. विशिष्ट तत्कालिन कार्यकारी अभियंता, श्री बी.एस. दहिया तत्कालिन उपमण्डल अभियंता, श्री इन्द्रजीत सिंह नागपाल, तत्कालिन कनिष्ट अभियंता से मिली भगत करके बिचुमिन/तारकोल की राशि 12,48,595रु. सरकारी खजाना से स्वीकृत करवाकर तथा फर्जी अदायगी करवाकर धारा 409,420,467,468,471व 120बी. भा.द.स. के तहत अपराध करना पाया गया हे जिसके के लिये उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत अभियोग अंकित करने का सुझाव दिया गया था । तफतीश के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति/अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत पाई जाये तो उसे भी देख लिया जाये । इसके अतिरिक्त उपोक्त बिचुमिन/तारकोल का प्रयोग शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र सिंह चौहान तत्कालिन कनिष्ट अभियंता द्वारा माप पुस्तिका मे मे ईन्द्राज करके पांचवा रनिग बिल तैयार किया हुआ है । अत तफतीश के दौरान शिकायतकर्ता की भुमिका को भी देख लिया जाये । इस बारे जांच रिपोर्ट महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 3690 दिनांक 27.03.2018 अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग, हरियाणा सरकार को भेजी गई थी । जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग, हरियाणा सरकार चण्डीगढ द्वारा पत्र क्रमांक 26/84/2015-2 चौकसी-1 के अनुसार आरोप न. 2 मे आरोपियों के विरुद्ध अभियोग अंकिंत करने का आदेश प्राप्त होने पर महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के पृष्ट क्रमांक 9845/आई-3 दिनांक 11.07.2018 अनुसार अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं । जिसकी पालना मे तहरीर अभियोग अंकित करने के लिये थाना प्रबन्धक, राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला के बादस्त सि. कमल कुमार न. 496/पंचकुला के भिजवाई जा रही है । स्पैशल रिपोर्ट उच्च अधिकारीयों की सेवा मे भिजवाई जाये । अभियोग अंकित करने के बाद अधिकारीयों से तफतीश करने के आदेश प्राप्त करके मिसल मुकदमा मय रिकार्ड सम्बन्धित अनुसंन्धान अधिकारी के पास भिजवाई जाये । sd. Rajpal (राजपाल) 19.07.18 निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरों उपकेन्द्र, कुरुक्षेत्र । Vetted sd Ajit Singh, 26.07.18. अज थाना- हस्ब आमदा उपरोक्त तहरीर प्राप्त होने पर बा हवाला रपट न. 6 दिनांक 01.08.18 समय 6.00 PM, पर अभियोगांक 7 दिनांक 01.08.18 धारा 409,420,467,468,471व 120बी. भा.द.स. के तहत दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सुचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला के पास ई-मेल के माध्यम से भेजी जा रही है व नकल मिसल पुलिस मय असल रिकार्ड आईन्दा

राज्य चौकसी ब्यूरो ... अम्बाला

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

तफतीश हेतू श्री सुभाष चन्द, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला के हवाले किया गया । ईन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SUBHASH CHAND Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

राज्य चौकसी ब्यूरो ... अम्बाला मण्डल, अम्बाला

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Dinesh Chand

Rank (पद): SI (Sub Inspector)

No. (सं.): 2/19

15. Date and time of **dispatch** to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is Proxitted: Yes
2	Male					Is Proxitted: Yes
3	Male					Is Proxitted: Yes
4	Male					Is Proxitted: Yes
5	Male					Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13